न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
173/2024

दायर दिनांक
07.05.2024

निर्णय दिनांक
27.05.2024

उनवान

1. अलोली पत्नि स्व० देवीलाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज)
2. जमनी पत्नि नन्दा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तरवारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशी लाल पिता भेरूलाल खटीक जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

भंवर लाल पिता बालूराम बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

इन्द्रा पुत्री लक्ष्मण बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

नाना पत्नि लक्ष्मण बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

पुरण पिता लक्ष्मण बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

बद्रीलाल पिता कालूलाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

भागुती पुत्री लक्ष्मण बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

मोहनी पत्नि स्व० भैरू लाल ब्राहम्मण जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

रामचन्द्र पिता स्व० भैरू लाल ब्राहम्मण जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

0. नगर विकास न्यास भीलवाडा (राज०)

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

परस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन, कन्हैया लाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

—: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तस्वारिया प0ह0 पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 285 की अभिलिखित आराजियात 102, 842/88 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0368 हैक्टेयर व खाता संख्या 284 की आराजी संख्या 99/1, 99/3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा तस्वारिया प0ह0 पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 285 की अभिलिखित आराजियात 102, 842/88 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0368 हैक्टेयर व खाता संख्या 284 की आराजी संख्या 99/1, 99/3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000--00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा